अध्याय २४
विविध
सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन

५५१–सार्वजनिक नोटिस का प्रचार कैसे किया जाएगा– जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा सकता है, तो ऐसी सार्वजनिक नोटिस, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होगा और उस पर मुख्य नगराधिकारी अथवा उसे देने के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तथा उससे प्रभावित होने वाले स्थानों (locality) में उसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह प्रचार उक्त स्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाकर अथवा डुग्गी पिटवाकर अथवा स्थानीय समाचार–पत्रों में उसका विज्ञापन देकर अथवा निगम के बुलेटिन में उसे प्रकाशित कराकर अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उचित समझे, किया जाएगा।

५५२–विज्ञापन किस प्रकार किया जाएगा– जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि नोटिस स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जाएगा अथवा यह कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस, विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले अथवा नगर में आने वाले कम से कम दो समचार–पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञापित की जाएगी, जिन्हें निगम समय–समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निगम अपना कोई बुलेटिन निकालती है, तो निगम के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों में उक्त नोटिस का प्रकाशन इस धारा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

५५३–निगम आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि का दिया जाना– (१) जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपनियम, विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता–

(क) निगम कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति ; या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी निगम पदाधिकारी ;

की सम्पत्ति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती हो तो उपधारा (२) में उपबन्धित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य (written documents) जिसका उद्देश्य ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान को ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट लिखित लेख्य पर जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई हो :

(क) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, निगम कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो, तो ऐसे प्राधिकारी (authority) की ओर से मुख्य नगराधिकारी ;

(ख) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, मुख्य नगराधिकारी अथवा कोई निगम पदाधिकारी हो तो, यथास्थिति, मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे निगम पदाधिकारी, हस्ताक्षर करेंगे।

नोटिसों आदि की तामील

५५४–नोटिस और उनकी तामील– (१) नोटिस, बिल, अनुसूचियां, आह्वान (summons) तथा अन्य ऐसे ही लेख्य, जिन्हें इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके लिए जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, निगम पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ प्राधिकृत करें, तामील किए जायेंगे जारी किए जायेंगे, प्रस्तुत किए जायेंगे अथवा दिए जायेंगे।

(२) यदि इस अधिनियम अथवा किसी निगम विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा ऐसे अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामील, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिए उपधारा (३) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा–

(क) उक्त नोटिस, बिल अनुसूची, आह्वान (summons) अथवा अन्य लेख्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत करके ;

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास–स्थान पर छोड़कर, अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारबार (business) के सामान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़कर अथवा ऐसे स्थान में उसके किसी वयस्क कर्मचारी, यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके ; अथवा

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर में निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता मुख्य नगराधिकारी को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल अनुसूची आह्वान अथवा अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रखकर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो, डाक द्वारा भेजकर ; अथवा

(घ) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को उससे सम्बद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हो, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर।

(३) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य ऐसे ही लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना अथवा उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसमें स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखना आवश्यक न होगा तथा उसकी तामील, उसका जारी किया जाना अथवा उसका प्रस्तुत किया जाना अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा, अर्थात्–

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हों तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके, अथवा

(ग) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य की सम्बद्ध भवन अथवा भूमि के किसी प्रमुख स्थान (conspicuous part) पर चिपकवा कर।

(४) यदि वह व्यक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवयस्क (minor) हो तो उसके अभिभावक (guardian) अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायगी।

(५) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आह्वान (summons) पर लागू न होगी।

५५५–नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते है– (१) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान न या अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा अन्य किसी निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हों, यथोचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जायगा, यदि उस पर यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि (faesimile) मुद्रांकित हो ;

(२) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निगम निधि के नाम काटे गये चेक (cheque) अथवा किसी संविदापत्र (deed of contract) पर लागू नहीं समझी जायगी।

५५६–मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना मांगने का अधिकार– (१) किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामील करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी भी भू–गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्राक्कथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे, मुख्य नगराधिकारी नोटिस में निर्दिष्ट करे, यह बताये कि उसमें उसक स्वत्व का क्या स्वरूप (nature) है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार (fee-holder), बंधकी, पट्टेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो, नाम और पता जहां तक कि ऐसा नाम और पता उसे ज्ञात हो, क्या है।

(२) कोई व्यक्ति, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (१) के अनुसार कोई सूचना देने के लिए आदेश दिया हो, उक्त आदेश का पालन करने और ऐसी सूचना जिसे वह अपनी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, देने के लिए बाध्य होगा।

अनधिकृत कार्य

५५७–मुख्य नगराधिकारी को लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझे जायेंगे– (१) यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिए इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियमन या उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी को लिखित अनुज्ञा अपेक्षित हो, बिना ऐसी अनुज्ञा प्राप्त किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा बाद में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत (revoked) कर दी गई हो, तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य अनाधिकृत समझा जायगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे, गिरा दे अथवा अकारथ कर दे (undo) । यदि ऐसे निर्माण को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जाने के समय जो भी व्यक्ति स्वामी हो वह मुख्य नगराधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) यदि उक्त लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति उक्त व्यक्ति या स्वामी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो मुख्य नगराधिकारी उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारण कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायगा।

निर्माण आदि के सम्बन्ध में आज्ञाओं का प्रवर्तन

५५८–निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति, से सम्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, कुछ दशाओं में उक्त व्यक्ति की लागत पर मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा सकते है– (१) इस अधिनियम तथा नियमों, उपविधियों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस देकर कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक उचित अवधि विहित की जायगी और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा अथवा उक्त आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा ऐसा कार्य करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवा दी गई आज्ञा को यथोचित रूप से पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो और जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा, जिसे या जिन्हें उक्त आदेश अथवा आज्ञा सम्बोधित की गई थी।

(२) मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन, कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त आदेश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति, आज्ञा का अनुपालन न करने के लिए दंड का भागी रहा हो या अभियोजित किया गया हो (prosecuteed) या एतदर्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा नहीं।

५५९–सामग्री का सम्भरण (supply)– किसी ऐसे व्यक्ति को लिखित प्रार्थना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों (fittings) के संभरण का आदेश दिया गया हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति की ओर से आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा ५२४ या ५२५ के उपबन्ध लागू न होते हों, तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायगी जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार

५६०–प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार– (१) मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई [ख१][निगम] पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू–गृहादि में, या, पर जहां इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवेश अथवा निरीक्षण करने का अधिकार हो अथवा कोई ऐसा निरीक्षण, तलाशी, भूमापन, माप, मूल्यांकन अथवा जांच करने का कोई ऐसा निर्माण संपादित करने के निमित्त, जिसके लिए वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो अथवा जिसे करना इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों के प्रयोजनार्थ, अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपने सहायकों सहित या रहित, प्रवेश कर सकता है।

(१) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात्–

(क) कोल, अस्तबल, मोटरखाना, वाहनगृह अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो ;

(ख) कोई भूमि, जहां [ख२][निगम] की कोई नाली रही हो अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो–धारा २३० के अधीन ;

(ग) कोई भूमि, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में स्वयं अपनी नाली [१][निगम] की नालियों में गिराने के उद्देश्य से हो–धारा २३४, २३६, २४१ तथा २४२ के अधीन ;

(घ) कोई भूमि जिसमें नालियों के संवीजन के निमित्त दंड और पाइप लगाने की आवश्यकता हो–धारा २४६ के अधीन ;

(ङ) नालियां, संवीजन, दंड, पाइप, मलकूप, शौचालय, मूत्रालय, स्नान और धुलाई के स्थल–धारा २५५ के अधीन ;

(च) कोई भूमि, जिससे होकर [१][निगम] के जलकल में जाने का मार्ग हो–धारा २६४ के अधीन ;

(छ) कोई भू–गृहादि जिनके बारे में यह संशय हो कि उसमें धारा ४३८ का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है ;

(ज) कोई भू–गृहादि जिसके प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी हो ;

(झ) निर्माण–काल में कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण–कार्य ;

(ञ) कोई भू–गृहादि, जिनकी व्यवस्था [१][निगम] में [१][निगम] के पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिए की हो।

(३) मुख्य नगराधिकारी अथवा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन प्रवेश करने के लिए तब तक बल–प्रयोग न करेगा जब तक कि–

(क) ऐसा प्रवेश अन्यथा न किया जा सकता हो ;

(ख) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है।

५६१–निर्माण कार्यो से संलग्न भूमियों पर मुख्य नगराधिकारी का प्रवेशाधिकार– (१) मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य से संलग्न अथवा उसके १०० गज के भीतर स्थित भूमि, उसमें मिट्टी, बजरी, बालू, ईंटें, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ डालने या ऐसे निर्माण–कार्य में प्रवेश के पाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण–कार्यो को संपादित करने से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त प्रवेश कर सकता है।

(२) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो), अपने प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करे तो पर्याप्त मेड़ों के द्वारा उतनी भूमि को पृथक् कर देगा जो उक्त धारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

(३) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व, कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु यथाशक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो), ऐसे प्रवेश के लिए तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तज्जन्य किसी स्थायी क्षति के लिए भी प्रतिकर देगा।

५६२–प्रवेश करने का समय– (१) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नहीं किया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गयी हो, ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है।

(२) उस दशा को छोड़कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिए प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना अथवा उसे अभिप्रेत प्रवेश तथा सिवाय उस दशा के जब तत्सम्बन्धी प्रयोजन बताना अनुपयुक्त समझा जाय, ऐसे प्रयोजन की ६ घन्टे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना प्रवेश न किया जायगा।

(३) जब ऐसे भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो तो प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिसा दिया जायगा, जिससे उस कक्ष के, जो महिलाओं के प्रयोग के लिए अलग कर दिया गया हो, रहने वाले वहां से हट सकें।

(४) जहां तक प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू–गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायगा जहां प्रवेश किया जाय।

(५) धारा ४३८ की उपधारा (७) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक बल–प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकर का दावा नहीं किया जायगा।

५६३–धारा ५६० या ५६१ के अधीन प्रवेश अवरूद्ध करने का प्रतिषेध– कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, मुख्य नगराधिकारी के धारा ५६० या ५६१ के अधीन प्रवेश करने में या किसी [ख३][निगम] पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा जो ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी की प्रार्थना से उसके साथ हो या जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो।

वैधिक कार्यवाहियां

५६४–दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निवेशन, आदि तथा विधिक परामर्श, आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपबन्ध– मुख्य नगराधिकारी–

(क) किसी व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषारोपण किया गया हो (charged) कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है–

(१) इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध ;

(२) कोई ऐसा अपराध जिससे [१][निगम] की सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो ;

(३) कोई भी अप्रदूषण करना ;

(ख) इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में समझौता कर सकता है जिसमें तत्समय प्रचलित विधि के अधीन विधितः समझौता किया जा सकता हो ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में, यदि स्वयं उस पर अथवा [१][निगम] अथवा अन्य किसी [१][निगम] के पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो (sued) प्रतिवाद कर सकता है ;

(घ) वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरूद्ध धारा ४७२ के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

(ङ) धारा ४७० की उपधारा (२), धारा ५२२ की उपधारा (३) व (४) तथा धारा ४८१ के अधीन तथा ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके सम्बन्ध में यह दावा किया गया हो कि वे [१][निगम] को प्राप्य हैं, कार्यवाही वापस कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

(च) मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थदंड के सम्बन्ध में उसे व्यक्ति के विरूद्ध ५०० रु० से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से ५०० रु० से अधिक की धनराशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

(छ) १[निगम] के विरूद्ध लाये गये या मुख्य नगराधिकारी के विरूद्ध, उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में क्रमशः किये गये अथवा न किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है ;

(ज) [१][निगम] के विरूद्ध या मुख्य नगराधिकारी या किसी [ख४][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी दावे, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

(झ) उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजित कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (च) में वर्णित दावे से भिन्न किसी दावे की, जो [१][निगम] अथवा मुख्य नगराधिकारी के नाम से निविष्ट किया गया हो, वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

(ञ) ऐसा विधिक परामर्श या सहायता का, जिसे वह समय–समय पर, इस उपधारा के पूर्वगामी खंड़ों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी [१][निगम] प्राधिकारी, या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार या कर्त्तव्य के प्रयोग अथवा

पालन को सुनिश्चित (secure) करने के निमित्त, प्राप्त करना आवश्यक या इष्टकर समझे, या जिसे [ख५][निगम] या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिए भुगतान कर सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्सम्बन्धी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसे वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा, जिसके सम्बन्ध में [१][निगम] यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय।

सामान्य

५६५. सभासद, इत्यादि जन–सेवक (public servant) समझे जायेंगे–(१) मुख्य नगराधिकारी तथा प्रत्येक सभासद [ख६][* * *] पदाधिकारी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो तथा [१][निगम] को प्राप्य कर, शुल्क या अन्य धनराशि की उगाही के निमित्त प्रत्येक ठेकेदार या अभिकर्त्ता तथा ऐसे किसी ठेकेदार या अभिकर्त्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में जन–सेवक समझे जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त इंडियन पीनल कोड की धारा १६१ में ''लीगल रेम्युनरेशन '' (legal remuneration) की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द ''गवर्नमेन्ट (Government) में [१][निगम] का अन्तर्भाव भी समझा जायगा।

५६६. पुलिस पदाधिकारियों के कर्त्तव्य–प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने के षड्यंत्र (design) की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है, कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उसे उपयुक्त [१][निगम] पदाधिकारी को ज्ञापित करना;

(ख) मुख्य नगराधिकारी को या किसी [१][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त मुख्य नगराधिकारी में या ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में निहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिए उचित रूप में उसकी सहायता माँगता हो, सहायता देना ;

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिए उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे अपने सामान्य पुलिस कर्त्तव्यों के पालन में प्राप्त हैं।

५६७. पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार–(१) यदि कोई पुलिस पराधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरुद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उस ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूछने पर वह अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को–

(क) उसका ठीक–ठीक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात्, या

(ख) बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा की गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, जो उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो,

अभिरक्षा में निरुद्ध न किया जायगा।

५६८. [ख७] [निगम] कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोग—राज्य सरकार किसी [१][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी को या [१][निगम] पदाधिकारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है।

५६९. निर्धारण, इत्यादि में अनौपचारिकताएँ तथा त्रुटियाँ ऐसे निर्धारण, आदि को अवैध करने वाली न समझी जायेंगी—(१) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किये गये किसी निर्धारण या किया गया अभिहरण या की गयी कुर्की या जारी किये गये नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान या लेख्य में कोई अनौपचारिकता, लिपिक–त्रुटि, अकर्म या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किये जा सकते हैं।

(२) उक्त कोई भी ऐसी अनौपचारिकता, लिपिक–त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष उपर्युक्त निर्धारण, अभिहरण, कुर्की, नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान या अन्य लेख्य को अमान्य अथवा अवैध करने वाली न समझी जायगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबन्ध सारतः तथा प्रभावतः अनुपालित किये गये हों, किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनौपचारिकता, लिपिक–त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष के कारण कोई विशेष क्षति पहुँची हो, किसी अधिकार–क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

५७०. सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए क्षति–पूर्ति—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये समझे गये या अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार किसी सभासद [ख८][* * *], नगर प्रमुख या मुख्य नगराधिकारी या किसी [१][निगम] के या इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी समिति के, मुख्य नगराधिकारी के या किसी [१][निगम] पदाधिकारी के या मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

५७१. इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का वादों से संरक्षण—(१) इस अधिनियम के अनुसार अथवा इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा अभिप्रेत कार्यान्विति के सम्बन्ध में किये गये या किये गये समझे गये कार्य के सम्बन्ध में या इस अधिनियम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में तथाकथित किसी असावधानी या चूक के कारण, [१][निगम] के या मुख्य नगराधिकारी के या किसी [१][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक निविष्ट नहीं किया जायगा—

(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो [१][निगम] की दशा में [१][निगम] के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा मुख्य नगराधिकारी या [१][निगम] के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में, उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाय और जिसमें वाद का कारण, प्रार्थित उपशम का प्रकार, अभियाचित, प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसा वाद के प्रयोजन के लिए वादेच्छुवादी, उसके मुख्तयार, एडवोकेट, वकील या अभिकर्त्ता (agent) का नाम तथा निवास–स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा ; तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् ६ मास के भीतर प्रारम्भ न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश () हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा।

(२) ऐसे किसी वाद पर विचार के समय—

(क) प्रतिवादी की उपर्युक्त प्रकार छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद—कारण के अतिरिक्त अन्य किसी वाद का कारण का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायगी ;

(ख) वाद, यदि क्षति के लिए हो, अपास्त (dismiss) कर दिया जाएगा, यदि वाद निदेशित किये जाने वाली क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर दी गयी हो या यदि वाद के निवेशित किये जाने के पश्चात् न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गयी हो।

(३) यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी [ख६,] [निगम] का पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या फलस्वरूप—लागत, परिव्यय, व्यय क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में या अन्यथा उसके द्वारा धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी, कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से, [१][निगम] निधि में से की जा सकती है।

टिप्पणी

(१) किराये का बकाया हेतु नोटिस की आवश्यकता—यदि परिषद के प्रयोग के लिए किराये का दावा किया गया तथा वाद किराये के बकाये की वसूली के लिए हो, जिसका नगर [ख१०,] [निगम] भुगतान करने में विफल रही, तो ऐसा वाद उ०प्र० नगर निगम अधिनियम की धारा ५७ द्वारा आच्छादित नहीं होता, क्योंकि वह किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं है कि जिसका किया जाना या जिसके किये जाने का अभिप्राय अधिनियम के निष्पादन अथवा आशयित निष्पादन में हो, या जो इस अधिनियम के निष्पादन में किसी अपेक्षा अथवा गफलत के सम्बन्ध में हो [*राम प्रसाद* बनाम *न०म०पा०,* १६७१ ए०डब्ल्यू०आर० (अ०न्या० ८७१)] नगर निगम के विरुद्ध किराये के बकाये तथा बेदखली के लिए वाद में धारा ५७१ के अधीन नोटिस की अपेक्षा नहीं की जाती [*महादेव जी डेंटी* बनाम *न०म०पा०, कानपुर,* १६८२ यू०पी०एल०बी०ई०सी० ६१४]

(२) निषेधाज्ञा उसके लिए जहाँ कि हर्जाना पर्याप्त उपचार न हो—जहाँ म्युनिसिपैलिटी के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया जाय और क्षति के लिए प्रतिकर तथा हर्जाना पर्याप्त अनुतोष न हो, वहाँ पूर्व नोटिस देने में विफलता के कारण वाद को खारिज नहीं किया जा सकता। [*लक्ष्मन दास* बनाम *म्युनिसिपल बोर्ड,* १६७८ ए० डब्ल्यू० सी० (एन०ओ०सी०) २४]

(३) निषेधाज्ञा के लिए वाद—नोटिस—लेखनबद्ध रूप में नोटिस दिये जाने से जब तक दो मास बीत न जायँ, वाद दायर नहीं किया जा सकता। [*आगरा न०म०पा० का मामला,* १६८२ यू०पी०एल० बी०ई०सी० १६२]

[२]**[५७१—क. [१][निगम] के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति—**[१][निगम] के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना—पत्र, नक्शे, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि

प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथमदृष्टया (prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता।]

[ख११][**५७१–ख. लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए [२][निगम] के पदाधिकारियों या सेवकों को आहूत करने पर निर्बन्धन**—[ख१२][निगम] के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें [२][निगम] एकपक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे।

५७२. कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिक निषेधाज्ञा न दे सकेगा—किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय—

(क) किसी व्यक्ति को, [२][निगम] की किसी समिति या उप–समिति के किसी सभासद [ख१३][* * *], पदाधिकारी या कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुआ है, निरुद्ध करने के लिए ; या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी [२][निगम], [२][निगम] की किसी समिति अथवा उप–समिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रूप से निर्वाचन आयोजित करने से निरुद्ध करने के लिए ;

कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तिम आज्ञा न देगा।

५७३. स्वामी के अभिकर्त्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा—(१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा २ के खंड (५२) के उपखंड (क) के पैरा (१), (२) या (३) में वर्णित किसी रूप में किसी भी भू–गृहादि का किराया ग्रहण करता है, कोई ऐसा कार्य करने के लिए उत्तरदायी न होगा जिसका इस अधिनियम के अधीन स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिए स्वामी को, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हो, या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक न किये जाने की दशा में, जो उसके पास रही होती, न हो।

(२) उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार, जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकार हो, स्वयं उसी व्यक्ति पर होगी।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन उपशम प्राप्त कर ले तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को स्वामी की ओर से या स्वामी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार उत्सर्जित करने का आदेश दे सकता है, जिसे वह उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार के उत्सर्जन के निमित्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा जायगा।

(४) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक निर्माण–कार्य संपादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है।

———

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ प्रतिस्थापित

ख२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ प्रतिस्थापित

ख३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९७ द्वारा शब्द ''या विशिष्ट सदस्य'' निकाले गये

ख७. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख८. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९७७ द्वारा शब्द ''विशिष्ट सदस्य'' निकाले गये

ख९. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१०. उ०प्र० अधिनियम सं० २१, सन् १९९४ की धारा २७ द्वारा बढ़ायी गयी

ख११. उ०प्र० अधिनियम सं० २१ सन् १९९४ की धारा २७ द्वारा बढ़ाई गई

ख१२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, १९७७ की धारा ३२ द्वारा शब्द ''विशिष्ट सदस्य'' निकाल दिये गये